

03/09/24

पञा. पेश डुरी वकील पार्थी उप.  
उकल पार्थी। - पञा के सूत्रवाद पकरण सं.  
38/2023 रा. का. डिक्ती ये जाने से  
उकल पार्थी। - पञा चलाये जाने की  
आवश्यकता नाथि होने से पकरण  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पञावली केसल कुमार होकर दाखिल  
दफ्तर हो निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूमबर  
जिला सलूमबर